



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122022-241468
CG-DL-E-28122022-241468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5861]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944

No. 5861]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

सं. 51 / 2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 15 के एचएस कोड 1511 90 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 6104(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 15 के एचएस कोड 1511 90 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
151190	अन्य:			
15119010	रिफांड ब्लिचड डिओडराइज़्ड पॉम ऑयल	मुक्त	31.12.2022 तक की अवधि के लिए आयात मुक्त है। केरल में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।	अगले आदेशों तक आयात मुक्त है। केरल में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।

15119020	रिफांड ब्लीचड डिओडराइज्ड पामोलिन	मुक्त	31.12.2022 तक की अवधि के लिए आयात मुक्त है। केरल में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।	अगले आदेशों तक आयात मुक्त है। केरल में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।
15119090	अन्य	मुक्त	31.12.2022 तक की अवधि के लिए आयात मुक्त है। केरल में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।	अगले आदेशों तक आयात मुक्त है। केरल में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।

अधिसूचना का प्रभाव: एचएस कोड 15119010, 1 5119020 और 15119090 के तहत मदों की "मुक्त" आयात नीतिगत शर्त को अगले आदेशों तक 31.12.2022 से आगे बढ़ाया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-52/एम-06/पीसी-2(क)/भाग-I/ई-19847]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2022

No. 51 /2015-2020

Subject : Amendment in import policy condition of items under HS Code 1511 90 of Chapter 15 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 6104(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, and read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the import policy condition of the following items under HS Code 1511 90 of Chapter 15 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
1511 90	Other:			
15119010	Refined bleached deodorised palm oil	Free	Import is free for a period up to 31.12.2022. Imports are not permitted through any port in Kerala.	Import is free until further orders. Imports are not permitted through any port in Kerala.
15119020	Refined bleached deodorised palmolein	Free	Import is free for a period up to 31.12.2022. Imports are not permitted through any port in Kerala.	Import is free until further orders. Imports are not permitted through any port in Kerala.
15119090	Other	Free	Import is free for a period up to 31.12.2022. Imports are not permitted through any port in Kerala.	Import is free until further orders. Imports are not permitted through any port in Kerala.

Effect of the Notification: “Free” import policy of items under HS code 15119010, 15119020 and 15119090 is extended beyond 31.12.2022 until further orders.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-52/AM-06/PC-2(A)/Part-I. /E-19847]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.